# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 394/2018

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| जगमाल सिह पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी बांकनाडी बनियासांडा धोरा तहसील बायतु पंजी जिला बाडमेर | | 1– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर बाडमेर<br>2– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाडमेर<br>3– तहसीलदार बायतु<br>4– ए.ई.एन. सार्वजनिक निर्माण विभाग, बायतु जिला बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–5–17 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12–7–2017 जो प्रकरण संख्या 70/2017 अनवान तहसीलदार बायतु बनाम जालाराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुरेन्द्र बागमलानी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0गण की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 29–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बायतु ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 के तहत कदीम सार्वजनिक रास्तो के अमल दरामद करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष पेश किया था, जिस प्रार्थना पत्र की सुनवाई न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत बायतु पंजी मे रखी जाकर राजकीय पेरोकार एवं विप्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) जगमालसिह को सुना जाकर निर्णय दिनांक 18–5–2017 के द्वारा तहसीलदार बायतु का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बायतु के प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार बायतु के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 पर वर्तमान अपीलांट की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि उसका एक खातेदारी का खेत खसरा नंबर 759/639 रकबा 8.18 बीघा मौजा बांकनाडी (बायतु पंजी) मे आया हुआ है, जिसमे पूर्व से ही एक गैर मुमकीन रास्ता खसरा नंबर 638 रकबा 3.10 बीघा का कटाण है । उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग गांव बायतु की आम जनता द्वारा

बनियासांडा धोरा रेल्वे स्टेशन जाने के लिए किया जा रहा है लेकिन तहसीलदार बायतु द्वारा राजनेतिक प्रभाव मे आकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट के खसरे मे से एक और नया रास्ता निकालने की जिद पर अडकर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांट के खसरे मे से ही वक्त सेटलमेंट से गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ होने से उक्त खसरे मे से एक और नया रास्ता नही निकाला जा सकता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की मूल भावना के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रास्ते की भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू हो परंतु राजस्व रेकर्ड मे किसी भी रूप से दर्ज नही हो आदि समस्याओ के लिए चलाये गए अभियान 2016 को रास्ते के उपयोग मे लिया जाकर गै0मु0रास्ता घोषित कर दिया जायेगा लेकिन विप्रार्थी/ अपीलांट के खसरा नंबर 759/639 मे ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नही हो रही है । यह सार्वजनिक सत्य है कि सरकार भूमि मालिक है तथा जब चाहे खातेदार से भूमि सरकार उपयोग हेतु ले सकती है परंतु सरकार को खातेदार से ली गई भूमि का उचित एवं प्रचलित डी.एल.सी.दर से मुआवजा भी अदा करना होता है । मात्र नोटिस देकर गरीब काश्तकार की भूमि हडप कर उसको भूमिहीन नही बना सकते है । प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि यदि राज्य सरकार रास्ते संबंधी अभियान के तहत खसरा नंबर 759/639 मे से 0.08 बीघा भूमि गैर मुमकीन रास्ता घोषित करना अति आवश्यक समझती है तो अपीलांट खातेदार के खेत मे से वक्त सेटलमेंट से चल रहे गैर मुमकीन सडक के रास्ते की भूमि रकबा 3.10 बीघा खसरा नंबर 638 मे सरकारी खर्चे से अपीलांट/विपक्षी खातेदार के नाम से विनियमित कर अपीलांट खातेदारी मे दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे अन्यथा पूर्व मे चल रहे गैर मुमकीन रास्ते को कायम रखते हुए तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मय खर्चा खारीज करने का निवेदन किया । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार बायतु का प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकार करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है.।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भूमि मे से अण्डर ब्रिज निर्माण करने हेतु स्वीकृति दिनांक 7–5–2018 को जारी कर देने की आड मे अपीलाट के खातेदारी उपजाऊ भूमि मे से रास्ता बनाया जा रहा है, जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट के पिता निम्बाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर बाडमेर को ग्राम बांकानाडी (बायतु पनजी) के खसरा नंबर 638 के कटाण मार्ग की भूमि खसरा नंबर 639 के बदले विनियमन करने के संबंध मे पेश किया था जिसको जिला कलेक्टर बाडमेर से

पत्रावली शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर को प्रेषित की गई जो अभी लंबित है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित करने का निवेदन किया कि ग्राम बांकानाडी (बायतु पनजी) के खसरा नंबर 638 के कटाण मार्ग की भूमि खसरा नंबर 639 के बदले विनियमन किया जाये तथा मुआवजा दिलाया जाये ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पदवार लिखित जवाब पेश किया तथा जवाब मे उल्लेख किया कि अपीलांट ने गलत एवं मनघडंत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है, अपीलांट की खातेदारी खसरा नंबर 759/639 रकबा 8.18 बिस्वा बांकलनाडी मे अवश्य आया हुआ है, उक्त खसरे मे से 0.08 हेक्टेयर भूमि सडक के रूप मे कदीमी से चली आ रही है तथा सन् 2007 से पक्की डामर सडक बनी हुई है तथा आवागमन पूर्ण रूप से चालू एवं निर्बाध गति से चल रहा है । उक्त डामर सडक पर ही आर.यू.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त डामर सडक का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 मे किया गया था, उस समय भी अपीलांट द्वारा कोई एतराज नही किया गया था तथा अपीलांट की पूर्ण सहमति से ही उक्त पक्की सडक का निर्माण किया गया था ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि तहसीलदार बायतु द्वारा राजनैतिक प्रभाव मे आकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के खसरे मे से रास्ता निकालने की जिद पर अड कर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया हो जबकि वास्तविकता मे अपीलांट के उक्त खसरा की 0.08 बीघा भूमि पर अपीलांट की सहमति से ही वर्ष 2007 मे पक्की सडक निकाली थी, उतरदाता अपीलांट के खेत मे से कोई नया रास्ता नही निकाल रहा है अपितु माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के मूल भाव से निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है, उनके अनुरूप ही उक्त खसरा नंबरान की 0.08 बीघा भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज की गई है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट के उक्त खसरा नंबर 759/639 रकबा 8.18 बीघा मे से नया खसरा नंबर 806/639 रकबा 0.08 बीघा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया गया है । उक्त भूमि पर पूर्व से ही डामर सडक बनी हुई है जिस पर आमजन एवं ग्रामीणो का आवागमन निर्बाध रूप से चल रहा है एवं आर.यू.बी. का निर्माण भारतीय रेस्वे के स्वामित्व भूमि परएवं राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किये गये गैर मुमकीन रास्ता खसरा नंबर 802/610, 803, 605, 804, 605 एवं 806/639 मे ही करेगा । सा0नि0वि0 अपीलांट की कृषि भूमि मे आर.यू.बी. का निर्माण नही कर रहा है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग पूर्व मे

बनी डामर सडक पर ही निर्माण कर करवा रही है । उक्त सडक का निर्माण प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 मे हो गया था । अपीलार्थी ने वर्ष 2007 मे सडक निर्माण मे कोई आपत्ति नही की थी जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि उक्त सडक पर बनने वाला आर.यू. बी. से आमजन एवं गामीणो को फायदा प्राप्त होगा तथा उक्त आर.यू.बी. के निर्माण से राजस्व ग्राम बायतू भीमजी, बनिया साण्डा धोरा रेल्वे ट्रेक व नगाणी धतरवालो की ढाणी के ग्रामीणो को बाडमेर आने जाने की न्यूनतम दूरी 25 कि.मी. कम तय करनी पडेगी जिससे आमजन का समय, ईंधन व धन की बचत होगी । इसी क मध्यनजर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आर.यू.बी. का निर्माण किया जा रहा है ।

अंत मे राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 मे रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के कम मे तहसीलदार गिडा ने राजस्व ग्राम बांकनाडी पटवार मण्डल बायतु पनजी की जमाबंदी संवत 2070–2073 अनुसार खसरा नंबरान 695/610, 690/605, 691/605, 692/605, 759/639 मे वर्णित प्रस्तावित भूमि जो खातेदारी मे दर्ज है परंतु मौके पर रास्ते के उपयोग मे आ रही है, जिनका राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 तथा सपठित नियम 58, 59, 60, 66 व 86 पर अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी बायतु ने प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त खसरा नंबरान की कमशः 0.07 बीघा, 0.07 बीघा, 0.06 बीघा, 0.02 बीघा तथा 0.08 बीघा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12–7–2017 को पारित किया है तथा उक्त निर्णय मे तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा को अपीलाधीन आदेश का अभिन्न अंग मानते हुए आदेश पारित किया है, जिसमे प्रथमदृष्टियां किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

अपीलांट का यह कथन कि उसका एक खातेदारी का खेत खसरा नंबर 759/639 रकबा 8.18 बीघा मौजा बांकनाडी (बायतु पंजी) मे पूर्व से ही एक गैर मुमकीन रास्ता खसरा नंबर 638 रकबा 3.10 बीघा का कटाण आया हुआ है । उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग गांव बायतु की आम जनता द्वारा बनियासांडा धोरा रेल्वे स्टेशन जाने के लिए किया जा रहा है लेकिन तहसीलदार बायतु द्वारा

राजनेतिक प्रभाव मे आकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट के खसरे मे से एक और नया रास्ता निकालने की जिद पर अडकर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांट के खसरे मे से ही वक्त सेटलमेंट से गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ होने से उक्त खसरे मे से एक और नया रास्ता नही निकाला जा सकता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की मूल भावना के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रास्ते की भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू हो परंतु राजस्व रेकर्ड मे किसी भी रूप से दर्ज नही हो आदि समस्याओ के निराकरण के लिए चलाये गए अभियान 2016 को रास्ते के उपयोग मे लिया जाकर गै0मु0रास्ता घोषित करने के निर्देश है जिसकी आड मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होना बताया है।

अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है जिनमे पटवारी हल्का बायतु पनजी की रिपोर्ट दिनांक 30–5–07 जो तहसीलदार बायतु को प्रेषित की गई है जिसके सलंग्न ग्राम बांकनाडी के खसरा नंबर 639 मे सडक निकालने के संबंध मे मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट उनके द्वारा चाही जाने पर प्रेषित की गई है, उक्त रिपोर्ट का भी परीक्षण किया जाने से अपीलांट के कथनो की सही प्रकार से पुष्टि हो सकती है ।

इसके अलावा तत्समय वर्ष 2007 मे खसरा नंबर 639 मे से सडक निकाली थी तथा खसरा नंबर 638 रेल्वे लाईन क्रोसिंग के रूप मे रास्ता काम मे आ रहा था तथा जिसके विनियमन के संबंध मे प्रस्ताव जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को दिनांक 14–8–07 को प्रेषित किया था जिसमे ग्राम बांकानाडी (बायतु पनजी) के खसरा नंबर 638 के कटाण मार्ग की भूमि खसरा नंबर 639 के बदले विनियमन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार मे लंबित है । इन बिन्दुओ के संबंध मे भी परीक्षण किया जाना आवश्यक एवं न्यायसगंत है तथा यदि अपीलांट का प्रकरण विनियमन संबंधी पाया जाता है तो इस संबंध मे परीक्षण का समुचित कार्यवाही की जाना भी अपेक्षित है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 12–7–2017 मे बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये अपीलांट की अपील उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के साथ निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 29–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

29/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर